



बिहार सरकार  
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग  
आदेश

का0आ0सं0-7/स्था0 (उत्पाद दफ्तरी)-05-01/2018...376..... श्री बब्लू कुमार श्रीवास्तव, कार्यालय परिचारी पूर्णियाँ के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए उनका स्थानान्तरण पूर्णियाँ जिला से समस्तीपुर जिला उत्पाद कार्यालय में किया जाता है।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि नव पदस्थापन जिला में अभिलंब योगदान समर्पित करेंगे।
3. अभ्यावेदन के आधार पर स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


  
(श्री कृष्ण पासवान)  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-7/स्था0 (उत्पाद दफ्तरी)-05-01/2018...376/ पटना दिनांक-...04.02.19  
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-7/स्था0 (उत्पाद दफ्तरी)-05-01/2018...376/ पटना दिनांक-...04.02.19  
प्रतिलिपि:-संबंधित समाहर्ता/संबंधित उपायुक्त मद्य निषेध/संबंधित अधीक्षक मद्य निषेध/श्री बब्लू कुमार श्रीवास्तव, कार्यालय परिचारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित अधीक्षक मद्य निषेध को दिया जाता है कि वे स्थानान्तरित कार्यालय परिचारी को योगदान देने हेतु निर्धारित समय सीमा के अंदर विरमित कर देंगे।

  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद,  
बिहार, पटना।